न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

बइजलास – मोहन लाल खटनावलिया, आर0ए0एस0

परिवाद संख्या – 42/2021

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कम अभिहित अधिकारी, नागौर		गिरधारी लाल पुत्र रामकुमार जाति माहेश्वरी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी मेडतारोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर। फर्म–गिरधारीलाल गोपीकिशन सदर बाजार मेडतारोड, तहसील मेडतासिटी जिला नागौर।

आदेश दिनांक :25.10.2021

1. प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 24-03-2021 को मैसर्स गिरधारीलाल गोपीकिशन सदर बाजार मेडतारोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर पर खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) में मिलावट का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लिया जाकर सीरीयल कोड नं. क्यू 1529 अंकित किया गया। उक्त नमूने की जांच खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर से करवायी गयी। जिनकी जांच रिपोर्ट क्रमांक एलएस 142/एक्ट/2021/58 दिनांक 01.04.2021 के द्वारा प्रार्थी द्वारा लिया गया नमूना सोयाबीन तेल (लूज) Contravenes Regulation No. 2.3.15 (1) (b) of The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition. होना पाया गया। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त गिरधारी लाल पुत्र रामकुमार जाति माहेश्वरी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी मेडतारोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर ने एफ.एस.एस.ए. 2006 की धारा 26 उप धारा 2 (v) 58 का उल्लंधन किया है, जो कि खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अप्रार्थी को जुर्माने से दण्डित किए जाने हेतु निवेदन किया गया।

2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह परिवाद दिनांक 24-06-2021 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, जो दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से जवाब दिनांक 12.08.2021 को पेश किया गया। अप्रार्थी ने अपने जवाब में बताया कि मेरी दुकान से खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर द्वारा खाद्य पदार्थ लूज तेल का सेम्पल लिया गया था। जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 का उल्लघंन होना पाया गया। मुझे कानून का ज्ञान नही होने के कारण हुआ है। भविष्य मे खुला तेल नही बेचूगां। कम से कम जुर्माना लगवाने का निवेदन किया है।

3. पत्रावली पर उपल्बध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं खाद्य विश्लेषक से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एलएस 142/एक्ट/2021/58 दिनांक 01.04.2021 के अनुसार खाद्य पदार्थ सोयाबीन तेल (लूज) का नमूना Contravenes Regulation No. 2.3.15 (1) (b) of The Food Safety and Standards (Prohibition and Restrictions on Sales) Regulations, 2011 as it sold in loose condition. पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा भी अपने जवाब में अपना जुर्म स्वीकार स्वीकार किया है। अतः अप्रार्थी को दोषी करार दिया जाता है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा खाद्य एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 58 का उल्लंधन करने एवं अपराध कारित करने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 58 के अन्तर्गत अप्रार्थी गिरधारी लाल पुत्र रामकुमार जाति माहेश्वरी निवासी मातेश्वरी कॉलोनी मेडतारोड तहसील मेडतासिटी जिला नागौर पर रूपये 20,000/– अक्षरे बीस हजार रूपये शास्ति आरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अप्रार्थी को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को भेजी जावे। अप्रार्थी से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवाई जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अप्रार्थी निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सुनिश्चित करेंगे।

4. आदेश लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल खटनावलिया)
अति. जिला मजिस्ट्रेट, नागौर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
नागौर (राजस्थान)